नगरीय वित्त

त्रैमासिक समाचार पत्रिका, राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान

रा न का स

USAID | INDIA
FROM THE AMERICAN PEOPLE

INDO - USAID FIRE (D) PROJECT

खंड 8 सं० 3
जुलाई - सितम्बर, 2005

सिटी मैनेजर्स एसोसिएशन मूवमेंट, भारतः नगरीय प्रबंधन के व्यवसायीकरण की दिशा में बढ़ता कदम

विश्व के सभी भागों में नगरीय स्थानीय निकाय निरन्तर समस्याओं से जकड़े हैं क्योंकि उन्हें तीव्र तथा विविध दबावों का सामना करना पड़ रहा है। यह आम धारणा है कि नगरीय स्थानीय निकाय के अधिकारी संतोषजनक रूप से कार्य नहीं करते; फिर भी, तेजी से बदलते नगरीय परिदृश्य के बीच नेतृत्व एवं अभिनव परिवर्तन के कुछ उत्साहजनक चिन्ह मौजूद हैं। विश्व के समस्त सिटी मैनेजर्स एसोसिएशन नगरीय स्थानीय निकायों के आदेशों पर प्रभावकारी ढंग से कार्य करने वाली महत्वपूर्ण एसोसिएशन के रूप में प्रकट हुई है तथा अनुभवों को बाँटने व सूचनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु सदस्यों के बीच अलोचनात्मक कड़ी के रूप में कार्य कर रही है।

भारत में सिटी मैनेजर्स एसोसिएशन (सी.एम.ए.) के गठन का उद्देश्य नगरीय स्थानीय निकायों को एक स्थल पर लाकर सीखने में मदद करना, आपसी अनुभवों की लेन-देन तथा समान मुद्दों पर आवाज उठाना है। इसका गठन यू.एस.ए.आई.डी./यू.एस.ए.ई.पी. की वित्तीय सहायता और यू.एस. के 8000 से अधिक पेशेवर नगरीय प्रशासन से जुड़े व्यवसायियों वाले सिटी मैनेजर्स की 90 वर्ष पुरानी संस्था इंटरनेशनल सिटी/कन्ट्री मैनेजमेंट एसोसिएशन (आई.सी.एम.ए.) की तकनीकी सहायता से हुआ। इस प्रकार, विभिन्न क्षेत्रों के पेशेवरों ने एक साथ मिलकर काम करने तथा अपने उन्नति एवं विकास के लिए संगठित प्रयास के महत्व को समझा।

भारत में पहले सी.एम.ए.का गठन 1997 में गुजरात में हुआ। अपने स्थापना के समय से ही यह गुजरात के नगरीय स्थानीय निकायों के क्षमता निर्माण में सक्रिय भागीदारी के साथ बेहतर नगरीय प्रबंधन के लिए समर्पित है। सी.एम.ए, गुजरात की सफलता से प्रभावित होकर वर्ष 2000 में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र व तमिलनाडु राज्य में, वर्ष 2002 में मध्य-प्रदेश, उड़ीसा, उत्तरांचल व राजस्थान राज्यों में तथा वर्ष 2003 व 2004 में क्रमशः पश्चिम बंगाल एवं पंजाब नामक राज्यों में सी.एम.ए, का गठन हुआ।

यह व्यवसायिक सदस्यता वाला संगठन है जो राज्यों के सिटी मैनेजर्स, नगरीय क्षेत्र के पेशेवरों, शैक्षणिक संस्थानों तथा संबंधित राज्यों के गैर सरकारी संगठनों से निर्मित है। ये मुख्यतः सूचना संग्रहण एवं प्रचार-प्रसार, क्षमता निर्माण तथा समर्थन जैसे तीन प्रमुख उद्देश्यों के लिए कार्य कर रहे हैं। विभिन्न राज्यों के 1500 से अधिक नगरीय स्थानीय निकाय इसके संगठनात्मक ढाँचे से जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपने श्रेष्ठ कार्यों, अभिनव प्रयासों से जुड़े आँकड़ों तथा तकनीकी सूचनाओं का दुर्लभ संग्रह सुलभ कराया है जिसका लाभ विभिन्न राज्यों के सिटी मैनेजर्स उठा सकते हैं।

इन संघों की निम्नलिखित उपलब्धियाँ हैं:

- **विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े सिटी मैनेजर्स के बीच मैत्री भाव** का जनक। स्थानीय स्वशासन से जुड़े पेशेवरों का शक्तिशाली, टिकाऊ ढाँचा तैयार किया गया जो नगरीय स्थानीय निकायों को लक्षित, माँग-प्रेरक व्यवसायिक विकास, सूचना/अनुसंधान, ढाँचागत विकास (नेटवर्किंग) एवं परामर्शी सेवाएँ उपलब्ध कराता है।
- **शिक्षा के निरन्तर अवसरों की अवधारणा** व्यवसायिक जगत में जानी पहचानी है जिसका स्वागत हुआ है तथा जिसके बेहतर परिणाम कार्यकुशलता में वृद्धि तथा दक्षता में सुधार के रूप में मिले हैं। अपने सदस्यों को समर्थ बनाने के लिए सी.एम.ए.द्वारा नियमित रूप से कार्यशालाओं का आयोजन होता है तथा नीतिगत योजना, दल निर्माण एवं वित्तीय प्रबंधन जैसे विविध विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होते हैं।

इस अंक में

सिटी मैनेजर्स एसोसिएशन मूवमेंट, भारतः नगरीय प्रबंधन के व्यवसायीकरण की दिशा में बढ़ता कदम.....1

भारत में नगरीय स्थानीय निकायों के श्रेष्ठ कार्य.....2

नगरीय स्थानीय निकायों के सुधारात्मक पहलों (2004-05) में विशिष्टता हेतु बंगलोर, इन्दौर, ठाणे व विशाखापत्तनम ने सी.आर.आई.एस.आई.एल.(क्रिसिल) पुरस्कार जीता.....7

राज्य की नगरीय रूपरेखा - महाराष्ट्र...10

'जलवायु संरक्षण हेतु शहर' विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन 10

एफ.आई.आर.ई - डी एवं रा.न.का.सं. द्वारा आयोजित/समर्थित घटनाएँ.....11

राज्यानुसार नगरीय स्थानीय निकायों (सभी स्तरों के) द्वारा प्राप्त राजस्व.....12

संक्षेप में समाचार....12

- **श्रेष्ठ कार्यों/पहल तथा तकनीकी ज्ञान को सर्व सुलभ** बनाया। अब तक, 12 सिटी मैनेजर्स एसोसिएशन में से 9 ने अपने 200 से अधिक श्रेष्ठ कार्यों का लिखित दस्तावेज़ तैयार करके उसका प्रचार-प्रसार किया जिससे भारत के नगरीय प्रबंधन में व्यापक सुधार हुआ है। सी.एम.ए. ने इन सफल कार्यों के हस्तांतरण में नगरीय स्थानीय निकायों के साथ भागीदारी की है। भागीदारी के माध्यम से श्रेष्ठ कार्यों का हस्तांतरण एक ऐसा सफल अनौपचारिक माध्यम है जो सेमिनारों, सम्मेलनों व प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों जैसे औपचारिक वातावरण में होना कठिन है।
- **आंकड़ों का संग्रह तैयार करना:** नगरीय सूचकांक एवं कार्य मापन (यू.आई.पी.एम.) का दायित्व पाँच सी.एम.ए. ने उठाया है जिनके द्वारा विभिन्न समयांतराल में विभिन्न क्षेत्रों के नगरीय स्थानीय निकायों की कार्य कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए नगरीय स्थानीय निकायों व संबंधित राज्यों के अभिकरणों की सहायता की जा रही है। सी.एम.ए, कर्नाटक ने सेंटर फॉर परफार्मेंस मैजरमेंट की स्थापना की है जिसका मूल उद्देश्य कार्यकुशलता की जाँच एवं सुधार हेतु नगरीय स्थानीय निकायों की मदद करना है।
- **प्रबंधन क्षमता व पर्यावरणीय जागरूकता में वृद्धि** के लिए एसोसिएशन द्वारा अपने सदस्यों के लिए ठोस कचरा प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, नगरीय सेवाओं में ऊर्जा क्षमता आदि विषयों पर कार्यशालाएँ आयोजित की गई। यह कार्यक्रम स्थानीय सरकारों के प्रबंधन को यह सीखने का अवसर देता है कि कार्यपालकों, समुदायों एवं सरकारों द्वारा दैनिक क्रियाओं एवं भविष्य की चुनौतियों का सामना किस प्रकार किया जाए। आई.सी.एम.ए. के इंटरनेशनल मैनेजमेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत संयुक्त राज्य के स्थानीय स्वशासन प्रबंधन अधिकारियों को देशी स्थानीय सरकारों के प्रबंधन कार्मिक से सहभागी बनने का मौका देता है तथा सी.एम.ए.जी. की सदस्यता सूची में से दूसरे पक्ष के साथ जोड़ने का कार्य करता है।
- **नगरीय स्थानीय निकायों के नीतिगत योजनाओं** का विकास, बजट के पूर्वानुमान की नवीन प्रक्रिया, नागरिक सर्वेक्षण, नागरिक सूचना केंद्र व जल आपूर्ति में विशेष सुधारों का विश्लेषण, गँदले जल तथा ठोस कचरा प्रबंधन का विकास हुआ। उदाहरण के लिए, सी.एम.ए, कर्नाटक ने एक नियमावली तैयार की है जिससे नगरीय स्थानीय निकायों की ठोस कचरा कार्य योजना के विकास में सहायता मिलेगी। इसके साथ ही, बी.एम.सी. को अपनी वार्षिक रिपोर्ट लिखने में भी सहायता की।
- **राष्ट्रीय एजेंडे पर नगरीय स्थानीय निकायों के लिए एक अविभक्त** मंच का गठन किया गया जो नगरीय सुधारों को आगे बढ़ाएगा। नगरीय स्थानीय निकायों के वित्तीय स्त्रोतों में सुधार करने के लिए सी.एम.ए, गुजरात ने उनकी सहायता हेतु एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसके अंत में एसोसिएशन ने गुजरात सरकार को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया जिसमें यह प्रार्थना की गई कि कुछ ऐसे आवश्यक कदम उठाए जाएँ जिससे नगरीय स्थानीय निकाय गैर-कर राजस्व जैसे प्रभाव शुल्क, म्यूनिसिपल परिसंपत्ति प्रबंधन तथा उपयोग शुल्कों से आय प्राप्त कर सकें। कार्यशाला में ही वित्तीय स्त्रोतों की पहचान हुई तथा विचार-विमर्श किया गया।
- **सहयोग की भावना:** नगरीय प्रशासकों एवं अन्य पेशेवरों के लिए व्यवहारिक पाठ्यक्रमों/प्रशिक्षण के अवसर उत्पन्न करने के लिए नगरीय स्थानीय निकायों, विश्वविद्यालयों, लोक प्रशासन व प्रशिक्षण संस्थानों के बीच सहयोग की भावना में वृद्धि हुई। उदाहरण के लिए, वर्तमान में मध्य प्रदेश नगरीय अधःसंरचना कोष को पुनः प्रचालित करने के लिए सी.एम.ए,एम.पी. मध्य प्रदेश सरकार के साथ काम कर रही है तथा वह परिसंपत्ति प्रबंधक का दायित्व भी ले सकती है। सी.एम.ए, उड़ीसा मानव संसाधन कानूनों में सुधार करने तथा मॉडल म्यूनिसिपल लॉ को विकसित करने के लिए राज्य सरकार की सहायता कर रही है तथा सी.एम.ए, कर्नाटक ने वेबसाइट विकसित करने में नगरीय विकास विभाग की सहायता की है। सी.एम.ए, गुजरात राज्य सरकार द्वारा घोषित 'अर्बन 2005' के अंतर्गत संपूर्ण राज्य में डबल एन्ट्री अकाउंटिंग सुधारों की पहल में राज्य सरकारों की सहायता करने में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है।

ऐसा अनुमान है कि आने वाले वर्षों में अनेक सी.एम.ए. गठित होंगी तथा राष्ट्रीय स्तर पर 'सिटी मैनेजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया' अपना स्वरूप ग्रहण करेगा। निश्चित रूप से नगरीय प्रबंधन के व्यवसायीकरण की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण माध्यम तथा आवाज है।

भारत में नगरीय स्थानीय निकायों के श्रेष्ठ कार्य चयनित राज्यः तमिलनाडु

ठोस कचरा प्रबंधन की विस्तृत योजना
तिरूपुर नगर निगम

1

सारांश

तिरूपुर नगर निगम के श्रेष्ठ कार्य के अन्तर्गत ठोस कचरे के प्रबंधन में तिरूपुर नगर निगम के विस्तृत दृष्टिकोण को अपनाया गया है जिसमें गैर सरकारी संगठनों, समुदाय आधारित संगठन, निजी भागीदारों तथा समाचार जगत को शामिल किया गया है। इस पहल के सकारात्मक परिणाम मिले तथा शहर की स्वच्छता प्रबंधन की परिस्थितियों में महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं।

पहल के पूर्व की स्थिति

तिरूपुर शहर 27.19 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में फैला हुआ है जिसकी जनसंख्या 3.52 लाख है जिसमें आवाजाही करने वाली जनसंख्या 1.9 लाख है। यहाँ प्रतिदिन लगभग 180 टन ठोस कचरा उत्पन्न होता है। शहर को स्वच्छता प्रबंधन हेतु 14 स्वच्छता वार्डों में बाँटा गया है। दुर्भाग्यवश, कार्मिकों की संख्या में कमी, समुचित संख्या में वाहनों तथा उपकरणों के अभाव के कारण कार्य कुशलता में कमी आई है।

पहल का विवरण

ठोस कचरा प्रबंधन की विस्तृत कार्य योजना की आवश्यकता अनुभव की गई जिससे नागरिकों में जागरूकता उत्पन्न करके सेवाओं के स्तर में सुधार होगा। नागरिकों, एन.जी.ओ., सी.बी.ओ. तथा गैर-सरकारी क्षेत्र से एजेन्सियों को शामिल करके ठोस कचरा प्रबंधन की योजना बनाने के लिए विस्तृत कार्य-नीति तैयार की गई।

कार्रवाइयाँ

क्षमता निर्माण

- नगरीय स्थानीय निकाय के कार्मिकों को विश्लेषण की कार्यकुशलता बढ़ाने तथा कार्य पर नियंत्रण रखने के लिए प्रेरित किया गया।
- ठोस कचरा प्रबंधन के लिए आवश्यक मशीनरी एवं उपकरणों को उन्नत बनाया गया।
- जागरूकता अभियान प्रारंभ किया गया।
- शहर को स्वच्छ रखने में जनता की भूमिका व भागीदारी के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए समुदाय आधारित संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों तथा मीडिया ने सघन अभियान चलाया।
- इस अभियान के दौरान घर-घर जाकर लोगों को कचरे को मूल स्रोत से ही अलग करने के लिए प्रेरित किया गया। जागरूकता दल ने प्लास्टिक के प्रयोग को हतोत्साहित करने का प्रयास किया तथा लोगों को कचरे के पुनः उपयोग तथा कम्पोस्टिंग के विषय में बताया।
- कचरे को मूल स्रोत से ही अलग करने हेतु नागरिकों को शिक्षित व प्रेरित करने के लिए तिरूपुर नगर पालिका व सी.ई.ई. ने गैर सरकारी संगठनों का एक दल बनाया।

क्रिया कलापों का निजीकरण

- जागरूकता बढ़ाने के लिए नगर निगम ने न सिर्फ गैर सरकारी संगठनों एवं समुदाय आधारित संगठनों को शामिल किया वरन इस व्यवस्था की कमियों को दूर करने के लिए कुछ क्रियाकलापों के निजीकरण का भी निर्णय लिया।
- कुछ वार्डों में ठोस कचरे के एकत्रीकरण तथा उसके निपटान के निजीकरण का प्रस्ताव किया गया।
- बी.ओ.टी. पर आधारित कम्पोस्टिंग कारखाने की स्थापना के लिए तिरूपुर नगर पालिका ने आई.वी.आर. इनवायरो प्रोजेक्टस लिमिटेड नामक निजी प्रचालक के साथ ज्ञापन संधि पर हस्ताक्षर किया।
- इस अनुबंध के अनुसार कम्पोस्ट कारखाने को नगर निगम के द्वारा प्रतिदिन 100 टन जैविक कचरे की आपूर्ति करना आवश्यक है। इस कारखाने की कम्पोस्टिंग प्रक्रिया विंड्रो के माइक्रोबायल एरोबिक कम्पोस्टिंग पर आधारित है।

निर्धारित क्षेत्रीय कचरा संग्रहण केन्द्र

- अलग-अलग किए हुए घरेलू कचरे को ट्रालियों में एकत्र करके निर्धारित क्षेत्रीय कचरा संग्रहण केन्द्र में ले जाया जाता है जहाँ से इसे कम्पोस्ट कारखाने में भेजा जाता है।
- बड़ी मात्रा में कचरा उत्पन्न करने वाले स्थानों अर्थात् बाजारों से कचरे को एकत्र करने के लिए विशेष रूप से 20 माल-डिब्बे तथा 2 ट्रक लगाये गए।

सूखे कचरे का पुनः प्रयोग (रिसाइक्लिंग)

- कोविलवाज़ी के कम्पोस्टिंग कारखाने में यू.एन.ई.पी. की वित्तीय सहायता से सी.ई.ई. - टी.एफ.ओ. द्वारा प्रायोगिक आधार पर हस्तनिर्मित कागज की उत्पादन इकाई की स्थापना की गई। निगम के ठोस कचरे से एकत्र किया हुआ रद्दी कागज इस इकाई का कच्चा माल है।
- अब इस इकाई में 10 कर्मचारी कार्यरत हैं तथा औसतन लगभग 25-30 कि.ग्रा. हस्तनिर्मित कागज का उत्पादन होता है।
- इस उत्पादन इकाई में प्लास्टिक कचरे की रिसाइक्लिंग के उचित उपकरण उपलब्ध हैं।

उपलब्ध परिणाम

- शहर में स्वच्छता का स्तर बेहतर हो गया है।
- क्रियाकलापों के निजीकरण तथा कम्पोस्ट कारखाने की स्थापना से स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन हुआ है।
- प्रभावकारी ठोस कचरा प्रबंधन के लिए विस्तृत कार्य योजना एक उपयोगी प्रयास है।

ई-गवर्नेंस पहल

9

तिरूनेलवेली नगर निगम

सारांश

हमारा समाज औद्योगिक युग से सूचना युग की ओर बढ़ रहा है, अतः सरकारों को इस परिवर्तन के साथ कदम मिलाना होगा। नगरीय स्थानीय निकायों ने पारदर्शी, सुलभ तथा उपभोक्ता के अनुकूल नागरिक सेवाओं की महत्ता को समझा

है इसलिए इस राज्य के सरकारी क्षेत्र में ई-गवर्नेंस विकसित हो रहा है।

नगरीय प्रशासन द्वारा नगर निगम के लिए निम्नलिखित सेवाएँ आरंभ की गई हैं :

सड़कों की प्रकाश-व्यवस्था

- नेट पर 40,000 बिजली के खम्भों का विवरण दे दिया गया।
- खंभे की संख्या तथा स्थान का विवरण देते हुए नागरिक ऑन-लाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायतकर्त्ता को एक विशेष शिकायत संख्या दी जाती है।
- प्रत्येक बिजली मिस्त्री को एक सुरक्षित लॉग-इन क्षेत्र दे दिया गया जिसके द्वारा वह सिर्फ अपने वार्ड से संबंधित शिकायतें देख सकता है। अपना कार्य समाप्त करने के बाद बिजली मिस्त्री अपनी रिपोर्ट प्रशासनिक कार्मिकों को देता है जो की गई कार्रवाई रिपोर्ट शीर्षक के अंतर्गत इसका विवरण नेट पर देता है।
- शिकायतकर्त्ता अपनी शिकायत संख्या की सहायता से अपनी शिकायत पर की गई कार्रवाई का विवरण देख सकते हैं।
- म्यूनिसिपल आयुक्त भी शिकायत पर की गई कार्रवाई पर नजर रख सकते हैं। नेटवर्क पर लॉगिंग करने के बाद वे उन शिकायतों की सूची देख सकते हैं जिन पर 72 घंटो से अधिक समय तक कार्रवाई नहीं की गई। वे पिछले सभी शिकायतों को वार्ड के अनुसार, क्षेत्र के अनुसार तथा तिथि आदि के अनुसार देख सकते हैं तथा संबंधित कार्रवाईयों की जाँच कर सकते हैं।
- प्रत्येक रखरखाव कंपनी खम्भों के रखरखाव के विवरण को नेट पर दे सकते हैं। वे मरम्मत किए गए खम्भों की संख्या के आधार पर बिजली मिस्त्री की उपस्थिति तथा मासिक वेतन की राशि तैयार कर सकते हैं। इसके साथ ही, वे शिकायतों पर की गई कार्रवाई के आधार पर सामग्री का स्टॉक विवरण तथा मासिक बिल भी तैयार कर सकते हैं।

जैव खाद कारखाने की ऑन लाइन तौल प्रणाली

- जैव खाद के कारखाने में लाए गए कचरे को चालक व वैन के विवरण के साथ इलैक्ट्रानिक रूप से सीधे संयंत्र में डाला जाता है।
- वेब पर किसी भी दूरवर्ती स्थान से कारखाने में लाए गए कचरे, चालक, क्षेत्र, वाहन, तिथि आदि के अनुसार विभिन्न रिपोर्टे तैयार की जा सकती है।
- वॉटर पम्पिंग स्टेशन-रिपोर्टिंग प्रणाली द्वारा शहर में क्षेत्र व पम्प आदि के अनुसार जल-प्रवाह की जाँच करने की व्यवस्था है।

नेल्लई समाचार बोर्ड

- ऐसा सक्रिय क्षेत्र जहाँ से अधिकारी ताजी घटनाओं से नागरिकों एवं अन्य विभागों को नवीनतम सूचना प्रदान कर सकते हैं।

ई-कानूनी सेवा: इंटरनेट पर आधारित विधिक मामलों की अवलोकन प्रणाली (ट्रेकिंग सिस्टम)

- इस सेवा द्वारा निगम के लगभग 1000 मामलों का अवलोकन होता है।
- इसे इस प्रकार से तैयार किया गया कि वह दैनिक आधार पर पूर्व सूचना देगी कि कौन सा केस किस कोर्ट में, किस एडवोकेट के माध्यम से सुनवाई के लिए आएगा।
- यह शपथपत्र दाखिल करने की तिथि तथा अंतिम तिथि पर नजर रखता है।
- यह एडवोकेट को दिए गए फीस का लेखा रखता है।
- यह मुकदमे की अवस्था को परिभाषित करता है कि क्या इस मुकदमे की जाँच चल रही है अथवा फैसले की प्रतीक्षा में है।
- यह किसी भी केस का इतिहास देख सकता है तथा सभी सुनवाइयों का विवरण इसमें लिख सकता है।
- यह व्यवस्था अंतरिम आदेश तथा आपत्ति-सूचना आदि दाखिल करने के सुझाव देती है।

ई-सर्वेक्षण: वेब पर आधारित भूमि प्रयोग व आरक्षित भूमि/योजनाओं की रिपोर्टिंग प्रणाली

- इसमें भूमि-उपयोग का विवरण रखा जाता है।
- यह प्रणाली दर्शाती है कि भूमि आरक्षित है अथवा नहीं। यदि आरक्षित है तो किस योजना के अन्तर्गत है?
- इसमें भौगोलिक अवस्थिति का विवरण रखा जाता है।
- इसमें उप प्रमंडलीय विवरण, मूल सर्वेक्षण संख्या तथा उप प्रमंडलीय इतिहास भी रखा जाता है।
- इस प्रणाली से अनेक रिपोर्ट फार्मेट जैसे एक विशेष वार्ड अथवा गाँव आदि में केवल आवासीय प्रयोग के सभी सर्वेक्षण संख्याओं को देखना संभव है।

ई-नगर योजना: वेब पर आधारित निर्माण/नवीनीकरण के लिए आवेदनों पर विचार तथा अवलोकन प्रणाली

- सभी आवेदनों का विवरण नेट पर दिया जाता है।
- नागरिक व संबंधित अधिकारी नवीनतम सूचना से अवगत हो सकते हैं तथा आवेदनों की स्थिति पर नजर रख सकते हैं।
- अवलोकन प्रणाली से अधिकारियों को यह मालूम होगा कि किस चरण में आवेदन को कौन देखेगा; जिससे अधिकरण चौकस होंगे।
- आवेदनों को भवन के कुल क्षेत्रफल तथा उद्देश्य

(औद्योगिक, व्यवसायिक, आवासीय आदि) के अनुसार अलग किया जाता है। उसके बाद, यह निर्धारित किया जाता है कि उसे किस स्थान तथा किस अधिकारी के पास अग्रेषित किया जाय।

- नागरिक चार्टर के अनुसार आवेदन की अंतिम तिथि के बारे में अधिकारीगण चौकस रहेंगे।
- सभी चरणों में फाइलों की गतिविधियाँ देखने के लिए नेट पर डाला जाता है।
- सभी शुल्कों के भुगतान पर नजर रखी जाती है।

सिटी हेल्पः वेब आधारित सामान्य शिकायत निवारण प्रणाली

- नागरिक सभी प्रकार की शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।
- वे सभी आवेदन पत्रों को यथोचित मार्गदर्शन सहित डाउनलोड कर सकते हैं।
- वे विभिन्न विभागों की विभिन्न योजनाओं व सुविधाओं के बारे में सूचनाएँ पा सकते हैं।
- वे आवेदन पहचान संख्या की सहायता से निगम को प्रस्तुत किए गए सभी आवेदनों की स्थिति देख सकते हैं।
- सभी आवेदनों को समुचित विभाग प्रमुख के पास भेजा जाता है जो प्रत्युत्तर में एक टिप्पणी लिखकर संबंधित कार्मिक को भेजता है।
- फील्ड कार्मिक कार्य को पूर्ण करके इस आवेदन को समापन हेतु विभाग के प्रमुख के पास वापिस भेजते हैं।
- आयुक्त सभी आवेदनों एवं उन पर की गई कार्रवाइयों को देख सकते हैं।
- नागरिकों को नागरिक अनुबंध दिखाया जाता है तथा शिकायत को दूर करने का अपेक्षित समय बताया जाता है।
- फील्ड कार्मिकों को चार्टर पर आधारित कार्यो के लिए चौकस किया जाता है तथा उन्हें अंतिम तिथि बताई जाती है।
- शिकायत पहचान संख्या के माध्यम से नागरिक अपनी शिकायतों पर हुई कार्रवाई को देख सकते हैं।

ई-नकद संग्रहण केन्द्र

- यह कर एवं सेवाओं का एकल खिड़की संग्रहण केन्द्र है।
- ई.बी., बी.एस.एन.एल. तथा अन्य निगम की ओर से संपत्ति तथा जल शुल्क आदि के भुगतान का संग्रहण ई-नकद संग्रहण केन्द्र द्वारा होता है।
- इसकी रचना ऑन लाइन प्रणाली के रूप में की गई है जिससे उपभोक्ता को यह मालूम पड़ता है कि वह किस शीर्षक के अंतर्गत कितनी राशि का देनदार है।

3 'कचरा रहित नगर' नामक्कल मॉडल

सारांश

नामक्कल सिटी नगर पालिका का लक्ष्य नामक्कल को 'ईको सिटी' के रूप में विकसित करना है। इस दिशा में नगर पालिका का पहला कदम 'कचरा रहित नगर अभियान' है। घर-घर से कचरा एकत्र करके घरेलू स्तर पर कचरे को अलग करने की योजना को क्रियान्वित करना नगर निगम के कार्मिकों के संगठित प्रयासों तथा नागरिकों के सहयोग से ही संभव था। लैंडफिल स्थल पर प्रतिदिन पहुँचने वाले कचरे को न्यूनतम करने की अवधारणा पर ध्यान दिया जाता है। नामक्कल नगर पालिका लैंडफिल स्थल पर फेंके जाने वाले कचरे की मात्रा में कमी करने के लिए वर्मिकम्पोस्टिंग तथा कचरे के रिसाइक्लिंग को प्रोत्साहन दे रही है।

पहल से पूर्व की स्थिति

नामक्कल तमिलनाडु के मुर्गीदाने तथा पशु चारा उत्पादन उद्योग के प्रमुख केन्द्रों में से एक है जिसकी कुल जनसंख्या 53,040 है। नगर में 30 म्यूनिसिपल वार्डों से प्रतिदिन औसतन 20 मिट्रिक टन कचरा उत्पन्न होता है।

पहल की प्रेरणा

वर्ष 2003 तक नामक्कल को 'कचरा रहित नगर' बनाने का संकल्प इस पहल का प्रेरक स्रोत था।

पहल का विवरण

- 'कचरा रहित अभियान' के अंतर्गत दीर्घकालिक तथा सतत कार्य योजना तैयार की गई जिसमें नागरिकों एवं अन्य भागीदारों को शामिल किया गया।
- जिम्मेवारियों के एक बड़े हिस्से का निजीकरण किया गयाः
  - घर-घर जाकर कचरे का संग्रहण करना।
  - वर्मी कम्पोस्टिंग विधि द्वारा जैविक खाद का निर्माण करना।
  - रिसाइक्लिंग होने योग्य कचरे की बिक्री।
  - अजैविक कचरे की ढुलाई तथा निपटान।
- यद्यपि नगर पालिका व निजी ठेकेदार दोनों ही सेवाएँ उपलब्ध कराते हैं परन्तु ठोस कचरा प्रबंधन से संबंधित अधिकतर क्रियाकलापों का निजीकरण हो गया है। अनुबंध की शर्त के अनुसार निजी ठेकेदारों को शहर के 75% क्षेत्र में सेवाएँ उपलब्ध करानी होगी तथा शेष 25% का प्रबंध नगर पालिका को करना होगा।
- कचरा निपटान में नगर पालिका की प्रमुख भूमिका है।

कचरे का 70% निपटान नगर पालिका करती है जबकि शेष 30% कचरे के निपटान का दायित्व ठेकेदारों का है।

- नामक्कल शहर में कोसुवामपट्टी एवं लाथुवड्डी नामक दो कचरा संग्रहक परिसर हैं। कोसुवामपट्टी कचरा संग्रहक परिसर 8.53 एकड़ में जबकि लाथुवड्डी 13.41 एकड़ भूमि पर फैला है।

कार्रवाईयाँ

- विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न कचरे के संघटकों के बारे में जानने के लिए एक गहन अध्ययन किया गया।
- नगरपालिका द्वारा 18 वार्डों में जुलाई 2000 से घर-घर से कचरे को एकत्र करना आरंभ किया गया।
- उत्पत्ति स्थल से ठोस कचरे को अलग करने के महत्व के विषय में नागरिकों को शिक्षित करने का सूचना अभियान आरंभ किया गया।

उपलब्ध परिणाम

- अपने शहर को स्वच्छ रखने के लिए निजी कंपनियों तथा लोगों की भागीदारी को जुटाने से अब नगरपालिका पहले से बेहतर सेवाएँ उपलब्ध करवाने में सक्षम है। शहर के वातावरण में स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
- सूचना एवं शिक्षण अभियान के परिणामस्वरूप 'कचरा रहित नगर अभियान' में लोगों की सक्रिय भागीदारी एवं समर्थन मिला।
- स्थानीय बाजार में जैव खाद की उपलब्धता के कारण स्थानीय स्तर पर कृषि में हानिकारक रसायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम किया गया।

प्राप्त सीख

- ठोस कचरा प्रबंधन प्रक्रिया में नागरिकों की जागरूकता तथा भागीदारी ने इस प्रणाली को जारी रखने में सहायता की।
- वास्तविकता के बारे में नागरिकों को शिक्षित करने तथा उनको सक्रिय भागीदार बनाने में सूचना एवं शिक्षण अभियान एक प्रभावकारी माध्यम है।
- शहर के लिए प्रभावकारी ठोस कचरा प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए विस्तृत पहल एक कारगर उपाय है।

भूमिगत मल जल परियोजना में लोगों की भागीदारी
अलन्दूर नगर पालिका

4

सारांश

नागरिकों की वित्तीय सहायता से अलन्दूर में भूमिगत मल व्यवस्था का विकास हुआ। लोगों को अपने शहर के विकास हेतु धन चुकाने के लिए राजी करने में नगर निगम के कार्मिकों ने काफी प्रयास किए थे। आरंभ में कठिनाईयों का सामना करना पड़ा; परंतु, म्यूनिसिपल कार्मिकों के निरन्तर प्रयासों तथा दृढ़ निश्चय ने इस कठिन कार्य को संभव बनाया। इसके अतिरिक्त, कार्य की निरंतर प्रगति से नागरिकों को विश्वास हुआ कि उनके धन का सदुपयोग होगा।

पहल के पूर्व की स्थिति

महानगर से सटे होने के कारण नागरिकों ने नगरीय स्थानीय निकायों से बेहतर सेवाओं की माँग की जो नगर की अधःसंरचना संबंधी जरूरत एवं उसकी माँग को देखते हुए नगरीय स्थानीय निकायों की वित्तीय क्षमता से परे था।

अपशिष्ट जल के विसर्जन के लिये अधःसंरचना के रूप में खुली नालियाँ व अनेक गड्ढे थे जिनसे होने वाले रिसाव के कारण भू-जल अत्यधिक प्रदूषित हो रहा था। कीटों के पनपने के लिए उपयुक्त स्थल के रूप में यह नगरीय स्थानीय निकायों के समक्ष गंभीर चुनौती बन गया था।

- शहर में भूमिगत मल व्यवस्था का नेटवर्क बनाने के लिए 120 कि.मी. की शाखा तथा प्रमुख सीवरों के निर्माण के साथ मल जल पम्पिंग स्टेशन का निर्माण किया गया।
- बी.ओ.टी. आधार पर मल जल शोधन कारखाने का निर्माण किया गया। नियमन की शर्त्तों के अनुसार छूट की अवधि 14 वर्ष है। शोधित मल जल की मात्रा के अनुसार तय दर पर ठेकेदार को नगरपालिका द्वारा भुगतान की जाएगी।

विश्व बैंक की पहली शर्त है कि इस परियोजना में लोगों की पर्याप्त भागीदारी को साबित करने के लिए 10,000 घरों से 5000 रूपये एकत्र की जाय। इसके उपरांत विभिन्न एजेन्सियों से वित्तीय एवं परियोजना में सीधी भागीदारी के लिए निविदाओं की माँग की जाए।

परियोजना के कार्यान्वयन हेतु स्थानीय निकायों के चयनित प्रतिनिधियों तथा कार्मिकों ने नागरिकों से मिलकर उनको वित्तीय अंशदान के लिए राजी किया। इस संदर्भ में, अलन्दूर नगर पालिका के अध्यक्ष ने प्रमुख भूमिका निभाई।

नगरपालिका ने पम्पिंग स्टेशन के लिए भूमि का अधिग्रहण किया तथा नगरपालिका द्वारा एस.टी.पी. का अधिग्रहण किया गया। पुनः, लोगों के वित्तीय अंशदान को संरचनाबद्ध रीति से एकत्र करने के लिए कार्य नीति अपनाई गई। नागरिकों से एकत्र की जाने वाली धनराशि संपत्ति के स्वरूप से संबंधित थी।

अपनाई गई कार्यनीतियाँ

सभी अवकाशों में (शनिवार व रविवार सहित) रेसीडेंट्स तथा नागरिक संगठनों के साथ चर्चा का आयोजन किया गया तथा इन सत्रों के दौरान, उन्हें परियोजना के कार्यान्वयन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया।

बाद की बैठकों में विविध रेसीडेंट्स एसोसिएशनों के कार्मिकों को योजना के बारे में विस्तार से बताया गया। इन बैठकों के परिणामस्वरूप, लोगों ने परियोजना में रूचि दिखाई तथा उसके लिये स्वैच्छिक रूप से धन देना आरंभ कर दिया।

निवासियों को स्थानीय केबल टी.वी. नेटवर्क तथा समाचार पत्रों के विज्ञापनों के माध्यम से भी प्रेरणा मिली। लोगों को पैम्फलेट तथा उद्घोषणाओं के माध्यम से भी योजना के बारे में बताया गया। लोगों से धन एकत्र करने के लिए शहर में अनेक संग्रहण केन्द्र स्थापित किए गए। नगरपालिका ने घर-घर से धन एकत्र करने की सुविधा का भी प्रबंध किया।

उपलब्ध परिणाम

अधःसंरचनाः अब शहर में अपशिष्ट जल के विसर्जन एवं शोधन की समुचित व्यवस्था है। अब शहर गड्ढों से मुक्ति पा सकता है जिससे भूमिगत जल के प्रदूषण को भी नियंत्रित करना संभव होगा।

पर्यावरणः भूमिगत जल निकासी व्यवस्था से शहर की स्वच्छता व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुआ।

उत्तरदायिताः परियोजना के वित्तीय पोषण में नागरिकों की प्रत्यक्ष भागीदारी से उन्हें परियोजना का भागीदार बनाया गया। इससे शहर की अधःसंरचना के प्रति नागरिकों में उत्तरदायित्व की भावना जागृत हुई तथा उन्हें यह महसूस कराया गया कि वे शहर के विकास में सक्रिय रूप से भी भाग ले सकते हैं।

नगरीय स्थानीय निकायों तथा नागरिकों के बीच घनिष्ठताः परियोजना के आरंभिक समय से ही नागरिकों की भागीदारी से नगरीय स्थानीय निकायों और नागरिकों के बीच अच्छे संबंध विकसित हुए। इसके अतिरिक्त, परियोजना की सफलतापूर्वक समाप्ति ने यह भी साबित कर दिया कि जनता के धन का दुरूपयोग नहीं किया गया। भविष्य में ऐसे ही अन्य प्रयासों के प्रति नगरीय स्थानीय निकायों को निश्चित रूप से मदद मिलेगी।

प्राप्त सीख

सामूहिक प्रयासों तथा पारदर्शी कार्रवाइयों के माध्यम से अधःसंरचना परियोजनाओं के लिए लोगो की भागीदारी जुटाना संभव है। शहर के विकास में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी के लिये यह आवश्यकता है उनके साथ घनिष्ठ संबंध बनाया जाय।

परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान अन्तर्विभागीय समन्वय तथा भागीदारों को शामिल करने से परियोजना समय पर पूर्ण हुआ। पुनः, भागीदारों के शामिल होने से कार्यान्वयन एजेन्सी को कार्यान्वयन के दौरान उत्पन्न होने वाली बाधाओं पर काबू पाने में सामर्थ्य व प्रेरणा मिली।

नागरिकों की भागीदारी द्वारा
सड़क विकास में विशिष्टता
इंदौर नगर निगम

5

समुदाय आधारित परियोजनाओं की योजना एवं निष्पादन में स्थानीय निवासियों के शामिल होने से संसाधनों का अधिक कुशल प्रयोग, अधिक उत्तरदायिता तथा उच्च गुणवत्ता के परिणाम मिल सकते हैं। इस दृढ़ विश्वास एवं वित्तीय स्रोतों की

म्यूनिसिपल प्रयासों (2004-05) में विशिष्टता के लिए बंगलोर, इंदौर, ठाणे एवं विशाखापत्तनम को क्रिसिल पुरस्कार मिला

6 नगरीय स्थानीय निकायों को विशेष पहचान मिली।

भारत की प्रमुख मूल्यांकन, वित्तीय समाचार, जोखिम व नीति परामर्शदाता कंपनी क्रिसिल ने पुरस्कार के विजेताओं के नाम की घोषणा की। नगरीकरण की बढ़ती हुई चुनौतियों का सामना करने के लिए क्रिसिल ने इस पुरस्कार के माध्यम से भारत की नगरीय स्थानीय निकायों में प्रेरक परिवर्तन की पहल की है। इस पहल में भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने क्रिसिल से साझीदारी की।

क्रिसिल पुरस्कार 2004-05 का प्रमुख विषय है 'साझेदारी', भारत की नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा किए गए सतत विकास के विशाल कार्यो को देखते हुए सी.आर.आई.एस.आई.एल. का विश्वास है कि 'साझेदारी' के द्वारा ही महत्वपूर्ण प्रगति की जा सकती है।

म्यूनिसिपल प्रयासों (2004-05) में विशिष्टता के लिए क्रिसिल पुरस्कार के विजेताः

- 'नगरीय निकायों तथा निजी क्षेत्रों के बीच साझेदारी' वर्ग में बंगलोर महानगर पालिका।
- 'नगरीय निकायों तथा नागरिकों के बीच साझेदारी' के वर्ग में इंदौर नगर निगम को विजेता तथा विशाखापत्तनम नगर निगम को उपविजेता घोषित किया गया।
- 'नगरीय निकायों तथा बहु संगठनों के बीच साझेदारी' के वर्ग में ठाणे नगर निगम को।

क्रिसिल ने अलन्दूर नगर पालिका (चेन्नई महानगर विकास क्षेत्र के भाग); कचरापारा नगरपालिका (पश्चिमी बंगाल); नवसारी नगरपालिका; हैदराबाद नगर निगम, जमशेदपुर यूटीलिटी एण्ड सर्विसिस कंपनी तथा बंगलोर महानगर पालिका को विशेष प्रशस्ति पुरस्कार दिए। इन नगरीय स्थानीय निकायों को वर्तमान में कार्यान्वित हो रहे उनके नवीन विचारों के लिए अथवा दस लाख से कम की जनसंख्या वाले क्षेत्रों में साझेदारी प्रयासों के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए जाना जाता है ।

अपर्याप्तता के कारण इंदौर नगर पालिका ने शहर की सड़कों की मरम्मत में समान भागीदार के रूप में कार्य करने के लिए इंदौर के नागरिकों से संपर्क किया। इससे म्यूनिसिपल निकाय एवं नागरिकों के बीच एक अनूठी साझेदारी कायम हो गई। कार्यान्वयन के प्रथम वर्ष (2001) में आंतरिक सड़कों के सुधार हेतु नागरिकों ने कुल लागत में लगभग 34% का सहयोग दिया। नागरिकों ने प्रमुखताएँ तय करने तथा परियोजनाओं की जाँच में भी भाग लिया जिससे कार्यान्वयन में सुधार हुआ तथा आई.एम.सी. के बजट आबंटन में भी वृद्धि हुई। इस प्रयास के माध्यम से बाद में शहर के लगभग 60% आंतरिक सड़कों का निर्माण किया गया।

परियोजना का संक्षिप्त विवरण

उद्देश्य

- सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से म्यूनिसिपल सड़कों में सुधार।

प्रयास

- परियोजना हेतु वित्त व्यवस्था में जनता की भागीदारी का प्रयास करना।
- प्राथमिकताओं के निर्धारण, योजना, जाँच व संसाधन जुटाने के लिए स्थानीय समुदाय की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

साझेदार

- आई.एम.सीः सरलीकरण, नियोजन, जाँच व वित्तीय प्रबंधन
- नागरिकः कार्यान्वयन में वित्तीय सहयोग व भागीदारी

परिणाम

- नगर के आंतरिक सड़कों के 60% भागों जिनमें 391 सड़कें अथवा 92.5 कि.मी.का विस्तार शामिल है, उसका पहले ही निर्माण किया जा चुका है।
- स्थानीय समुदायों में स्वामित्व की भावना तथा देख-रेख से सड़कों का बेहतर रखरखाव हो रहा है।

नागरिक भागीदारी के माध्यम से ठोस कचरा प्रबंधन तथा स्वच्छता व्यवस्था में विशिष्टता
विशाखापत्तनम नगर निगम

6

ठोस कचरा प्रबंधन तथा स्वच्छता व्यवस्था की दोहरी समस्या के समाधान के लिए विशाखापत्तनम नगर निगम ने व्यापक समाधान प्रस्तुत किया है। आवासीय कल्याण संघों के माध्यम से वी.एम.सी. ने कचरा प्रबंधन के कार्यों में नागरिकों से साझेदारी की। ठोस कचरा प्रबंधन, नालियों तथा सड़कों की सफाई के लिए 'जनचैतन्य' तथा 'शुबराम' नामक दो कार्यक्रम आरंभ किए गए थे। इन दोनों कार्यक्रमों में, नागरिकों ने परियोजना के अनुमान, संसाधन जुटाव, निष्पादन, जाँच तथा नकद व निरीक्षण संबंधी सक्रिय सहयोग किया। सम्मिलित रूप से इन दो कार्यक्रमों द्वारा 900 इलाकों की स्वच्छता व्यवस्था में सुधार हुआ जिसके अंतर्गत विशाखापत्तनम नगर निगम की 75% जनसंख्या आती है।

परियोजना का संक्षिप्त विवरण

उद्देश्य

- दैनिक प्रबंधन में स्थानीय लोगों की भागीदारी के माध्यम से शहर की स्वच्छता व्यवस्था में सुधार करना।

प्रयास

- स्वच्छता प्रबंधन से जुड़े कार्यक्रमों में स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- जनचैतन्य (घर-घर से ठोस कचरा एकत्र करने के लिए स्वच्छता प्रबंधन का भागीदारी कार्यक्रम)
- प्रायोगिक कार्यक्रम के रूप में इसका शुभारंभ 2002 में किया गया।
- आवासीय विकास संघों के माध्यम से नागरिकों से गठजोड़ कायम करना।
- 500 संघों (आर.डब्लू.ए.) द्वारा अपनाया गया।
- शुभराम (नालियों व सड़कों के लिए समुदाय द्वारा संचालित प्रबंधन कार्यक्रम)
- यह पहल जनचैतन्य की सफलता पर आधारित है।
- सड़कों की सफाई तथा नालियों में से गाद निकालन वाली इस पहल में आर.डब्लू.ए. के साथ लागत में साझेदारी की गई।
- इस योजना को 400 संघों द्वारा अपनाया गया।

साझेदार

- वी.एम.सीः नियोजन, पूँजी निवेश, सरलीकरण, अभिप्रेरणा।
- स्थानीय निवासी (आर.डब्लू.ए. के माध्यम से): वित्तीय हिस्सेदारी, क्रियाकलापों का दैनिक प्रबंधन।

परिणाम

- 900 इलाकों (75-80% जनसंख्या) के स्वच्छता प्रबंधन में सुधार हुआ।
- समुदाय की मनोवृति में परिवर्तन हुआ तथा पर्यावरणीय जागरूकता में वृद्धि हुई।
- अन्य पहलों के लिए सफल मंच का निर्माण हुआ।
- वी.एन.सी. के साथ संवाद एवं भरोसे में वृद्धि हुई।

प्लास्टिक कचरे के प्रयोग द्वारा शहर की सड़कों के टिकाऊपन में सुधार संबंधी श्रेष्ठ कार्य
बंगलोर महानगर पालिका

7

नगरीय भारत के समस्त बड़े नगरों में खतरनाक प्लास्टिक कचरे का निपटान एक गंभीर समस्या बनी हुई है। सड़कों की खराब स्थिति तथा उनके रखरखाव की उच्च लागत एक अन्य

चिरस्थायी समस्या है। बंगलोर महानगर पालिका (बी.एम.सी.) ने एक साथ इन दोनों समस्याओं का सामना करने के लिए एक कार्यनीति तैयार की। बी.एम.पी. ने के.के.पोली फ्लेक्स प्रा.लि. नामक एक निजी उत्पादन फर्म के साथ साझेदारी की जिसने सड़कों के टिकाऊपन को बढ़ाने हेतु कंकरीट के साथ प्लास्टिक कचरे को मिश्रित करने का प्रस्ताव किया है। 750 मीटर लम्बी जिस सड़क पर इस तकनीक का परीक्षण किया गया वह पहले से अधिक टिकाऊ तथा मजबूत बनी। इसके लिए प्रयुक्त किए गए नए सम्मिश्रण तथा प्रौद्योगिकी को प्रमुख भारतीय अनुसंधान संस्थान द्वारा जाँचा व प्रमाणित किया गया। प्लास्टिक कचरे के पुनः प्रयोग के नवीन विचार से शहर की सड़कों के टिकाऊपन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई तथा इस प्रयोग से नगरीय भारत के सबसे बड़े संकट अर्थात् प्लास्टिक कचरे के निपटान की समस्या का समाधान भी मिल गया।

परियोजना का संक्षिप्त विवरण

उद्देश्य

- सड़क की पटरी के निर्माण हेतु आवश्यक बिटुमिनस मिश्रण में प्लास्टिक के प्रयोग से सड़क की गुणवत्ता में सुधार करना।

प्रयास

- बेकार पड़े प्लास्टिक के थैलों को पीसकर चूरा बनाया जाता है जिसका प्रयोग बिटुमन मिश्रण में होता है।
- बेहतर सड़कों के लिए मिश्रण की गुणवत्ता की जाँच व सुधार हेतु निगम प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने वालों के साथ मिलकर कार्य करती है।

साझेदार

- बंगलोर महानगर पालिका ने इस प्रौद्योगिकी को प्रायोगिक आधार पर कार्यान्वित किया तथा बाद में अन्य सड़क मार्गों पर इसके प्रयोग को बढ़ा दिया गया। उसके बाद जारी की गई निविदाओं में इस प्रौद्योगिकी के विनिर्देशों को सम्मिलित किया गया।
- के.के.प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्रा. लि. ने इस तकनीकी ज्ञान को विकसित करने तथा उसके हस्तांतरण का कार्य किया।

परिणाम

- प्लास्टिक-बिटुमन संघटकों के प्रयोग द्वारा 82 कि.मी. सड़क पहले ही तैयार की जा चुकी है।
- पानी जमा होने की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सड़क की गुणवत्ता कायम रही। इसलिए, ऐसा अनुमान किया जाता है कि बी.एम.पी.- के.के. प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्रा.लि. द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी का बड़े पैमाने पर अपनाया जाएगा।

8 बहुल भागीदारों से साझेदारी करके झील-संरक्षण में विशिष्टता
ठाणे नगर निगम

पिछले दशक से मुम्बई समूह के ठाणे क्षेत्र की झीलें कीचड़ और ठोस कचरे को पानी में बहाए जाने तथा मूर्तियों के विसर्जन के कारण दलदल में बदल गई है। झीलों में इन मिलावटों को रोकने तथा इनके पारिस्थितिक संतुलन को पुनः स्थापित करने के लिए ठाणे नगर निगम ने 'झील संरक्षण व प्रबंधन कार्यक्रम' नामक एक अनूठी परियोजना आरंभ की। इस परियोजना का अनूठापन यह है कि केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय शैक्षणिक संस्थानों, निजी एजेंसियों तथा समुदाय आधारित संगठनों से सभी स्तरों पर बहुल साझेदारी कायम किया गया है। परियोजना के अंतर्गत वास्तविक रूप से लक्षित 10 झीलों में से 4 झीलों को बायो-रेमिडिएशन प्रक्रिया के माध्यम से साफ किया गया। परियोजना को पूरा करने के लिए नागरिकों की भागीदारी ने एक महत्वपूर्ण जागरूकता उत्पन्न की जिससे त्यौहारों के दौरान इन झीलों में होने वाले मूर्ति-विसर्जन की पुरानी रीति को रोक दिया गया।

परियोजना का सार

उद्देश्य

- सुधार कार्यो, प्रदूषण नियंत्रण तथा सौंदर्यीकरण के द्वारा झीलों का पुनर्विकास करना।

प्रयास

- भारत में झीलों के संरक्षण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय झील संरक्षण विभाग का गठन किया।
- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की आंशिक वित्तीय सहायता से ठाणे नगर निगम ने झीलों की सफाई एवं प्रदूषण को नियंत्रित करने के साथ-साथ झील के आसपास के क्षेत्रों का सौंदर्यीकरण किया।
- प्रयुक्त प्रणालियाँ: बायो-रेमिडिएशन के प्रयोग के साथ साथ मूर्ति-विसर्जन का निषेध किया गया।

साझेदार

- ठाणे नगर निगम: परियोजना की अवधारणा, निवेश एवं क्रियान्वयन।
- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकारः विभिन्न झीलों के लिए आंशिक वित्तीय व्यवस्था
- मुम्बई महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के माध्यम से राज्य सरकारः वित्तीय सहायता
- स्थानीय शैक्षणिक संस्थानः झीलों की स्थिति का विश्लेषण तथा परिस्थितिक तंत्र का विकास
- गैर सरकारी संगठन, विधायक, सांसद तथा नागरिकः जागरूकता लाना तथा निगरानी समिति का गठन
- बी.ओ.टी. पर आधारित निजी भागीदारीः झीलों का रखरखाव तथा मनोरंजन के लिए उसका प्रयोग।
- प्रचालन एवं रखरखाव सेवाएँ: निजी सेवा प्रदायों द्वारा वहन की जाती है तथा मनोरंजक क्रियाकलापों से आय अर्जित की जाती है।
- प्रौद्योगिकी प्रदायकः बायो प्रोडक्ट की मात्रा के बारे में परामर्श।

परिणाम

- 10 झीलों को चुना गया जिसमें से चार झीलों की सफाई की गई। रखरखाव के कार्य को 25 वर्षों के लिए पट्टे पर दे दिया गया।
- बायो रेमिडियल प्रणाली के द्वारा झीलों को पुनः चालू किया गया।
- समाज में पर्यावरण संबंधी जागरूकता उत्पन्न हुई।
- स्थानीय शैक्षणिक संस्थानों में नवीनतम प्रौद्योगिकी का प्रचार-प्रसार किया गया।
- झीलों के रखरखाव तथा सौंदर्यीकरण/पर्यावरणीय पर्यटन की लागत में कमी हुई।

राज्यों की नगरीय रूपरेखा
चयनित राज्यः महाराष्ट्र

वर्ष 2001 में, 97 मिलियन की जनसंख्या के साथ महाराष्ट्र भारत के दूसरे सबसे घनी आबादी वाले राज्य के रूप में उभरा है। 2001 में 39.13 मिलियन की शहरी आबादी के साथ देश में तमिलनाडु के बाद यह दूसरा सबसे अधिक नगरीकृत राज्य भी है, जो कि कुल जनसंख्या का लगभग 42.50 प्रतिशत है। भारत की कुल जनसंख्या के लगभग 9% की आबादी वाला महाराष्ट्र देश के कुल औद्योगिक उत्पादन का 19%, सेवा क्षेत्र का 15% तथा सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 13 प्रतिशत उत्पादित करता है। पुनः, यह भारत के औद्योगिक क्षेत्र के कुल उत्पादन में एक चौथाई का योगदान करता है तथा व्यवसाय के क्षेत्र में देश के सबसे अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित है। इसप्रकार, यह नए निवेश की भारी राशि को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है तथा देश की उदारीकरण प्रक्रिया को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहा है।

- स्वतंत्रता के बाद से ही, महाराष्ट्र की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से अधिक है। वर्ष 1991 तक, महाराष्ट्र भारत के 16 बड़े राज्यों में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य था। वर्ष 2001 में, यह तमिलनाडु के बाद दूसरे स्थान पर आ गया है।
- वर्ष 2001 में, महाराष्ट्र में प्रथम श्रेणी के नगरों का प्रतिशत 11 था जो राज्य की कुल नगरीय जनसंख्या का 80 प्रतिशत थी। वर्ष 1991 में, दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले 3 शहर थे जिनकी संख्या 2001 में बढ़कर 7 हो गई। इन 7 नगरों में महाराष्ट्र की नगरीय जनसंख्या का लगभग 52 प्रतिशत निवास करती है। महाराष्ट्र की राजधानी मुम्बई शहर में महाराष्ट्र की 29 प्रतिशत जनसंख्या तथा 7 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की कुल जनसंख्या की 56 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। वर्ष 1991-2001 के बीच नगरीय जनसंख्या की वृद्धि का लगभग 88.2 प्रतिशत 7 मिलियन से अधिक आबादी वाले नगरों में सीमित था।
- नगरीय जनसंख्या की प्रवृति का क्षेत्रानुसार विश्लेषण दर्शाता है कि मुम्बई की अवस्थिति के कारण वृहन मुम्बई व कोंकण क्षेत्र सबसे अधिक नगरीकृत हैं जिसके बाद क्रमशः विदर्भ, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा मराठवाड़ा आता है।
- अकेले ग्रेटर मुम्बई नगरीय क्षेत्र में नगरीय जनसंख्या का 41 प्रतिशत तथा राज्य की कुल जनसंख्या की 19 प्रतिशत आबादी थी। महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था में मुम्बई की प्रमुखता का कारण उसका विस्तृत आर्थिक आधार है जिनमें विविध उद्योग, वित्तीय संस्थान, बन्दरगाह, सार्वजनिक एवं व्यवसायिक क्षेत्र के मुख्यालय शामिल हैं। राज्य के घरेलू उत्पाद, आयात-निर्यात तथा उत्पाद शुल्क तथा आयकर के माध्यम से अर्जित केन्द्रीय राजस्व में मुम्बई के औद्योगिक, व्यापारिक तथा वाणिज्यिक क्रियाकलापों का महत्वपूर्ण योगदान है।
- 12.6 मिलियन (1.26 करोड़) की जनसंख्या वाले ग्रेटर मुम्बई के नगरीय समूह में ग्रेटर मुम्बई नगर निगम, कल्याण नगर निगम, ठाणे नगर निगम, उल्हासनगर नगर पालिका, नवी मुम्बई तथा मीरा मायंडर नगर पालिका सम्मिलित हैं। ग्रेटर मुम्बई नगर निगम 437.77 वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल में फैला है जिसकी जनसंख्या 11.9 मिलियन (1.19 करोड़) से अधिक है।
- ग्रेटर मुम्बई नगरीय समूह के अंतर्गत 5 नगर निगम तथा 15 नगर परिषद शामिल हैं। महाराष्ट्र में राज्य के घरेलू उत्पाद में वृद्धि को बढ़ाने के लिए वित्तीय दूरदर्शिता, ऊर्जा क्षेत्र में सुधार तथा 8 सूत्रीय सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत मुम्बई को देश के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय अपतट वित्तीय केन्द्र के रूप में विकसित करना है।
- महाराष्ट्र में कुल निवेश में औद्योगिक तथा अधःसंरचना निवेश का बड़ा भाग रहा है। ग्रेटर मुम्बई तथा उसके निकटवर्ती जिलों- ठाणे, रायगढ़ तथा रत्नागिरि जिलों में कुल निवेश का 61 प्रतिशत मिलता है। महाराष्ट्र में 78 नगर परिषद तथा नगर निगम के लिए लम्बी अवधि के पूँजी निवेश कार्यक्रम को तैयार करने के लिए एम.एम.आर.डी.ए. द्वारा प्रायोजित महाराष्ट्र नगरीय अधःसंरचना कोष (मार्च 1999) पर हुए अध्ययन के अनुसार लगभग 41 नगरीय निकायों में जल आपूर्ति आवश्यक मानदण्डों से कम थी।
- ऐसा अनुमान लगाया गया था कि वर्ष 2001 तक महाराष्ट्र की नगरीय स्थानीय निकायों को मूल अधःसंरचना तथा सेवाओं में लगभग 4578 करोड़ रूपये के निवेश की आवश्यकता होगी। महाराष्ट्र में 78 नगर पालिका तथा 'क' एवं 'ख' वर्ग की नगर परिषद् के लिए एम.यू.आई.एफ. ने वर्ष 2005 की कमी तथा अतिरिक्त माँग पर आधारित 10288.46 करोड़ रूपये के निवेश का अनुमान लगाया है। इनमें मलजल तथा स्वच्छता व्यवस्था के लिए निवेश का सबसे बड़ा भाग है; उसके बाद जल-आपूर्ति, तीव्र जल निकासी, सड़कें, ठोस कचरा प्रबंधन तथा अन्य हैं।

'जलवायु संरक्षण हेतु शहर (सी.सी.पी.)' के भारतीय कार्यक्रम पर 20 सितम्बर 2005 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला

नगर जलवायु परिवर्तन के सर्वप्रमुख स्रोत हैं जिनसे चरम जलवायु परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं तथा वैश्विक स्तर पर तापन की समस्या उत्पन्न हुई है जिससे प्रेरित होकर विगत चार वर्षों में 'जलवायु संरक्षण हेतु शहर' नामक भारतीय कार्यक्रम चलाया गया।

'टिकाऊ विकास के लिए स्थानीय सरकारें' विषय पर सी.सी.पी. इण्डिया की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन 20 सितम्बर 2005 को नई दिल्ली में हुई जिसे यू.एस.ए.आई.डी., रा.न.का.सं. तथा आई.सी.एल.ई.आई. ने सहआयोजित किया। इस कार्यशाला में राज्य व राष्ट्रीय स्तर के नीति निर्माताओं, महापौरों, आयुक्तों तथा 16 सी.सी.पी. भागीदार, शहरों के इंजीनियरों के अलावा 4 फायर III शहरों अर्थात् खाण्डवा, उज्जैन, कटक व नागपुर के प्रमुख नगरीय नीति परामर्शदाता, सिविल कार्मिकों, नियोजकों, ऊर्जा विशेषज्ञ व गैर सरकारी संगठनों को एक साथ लाया गया।

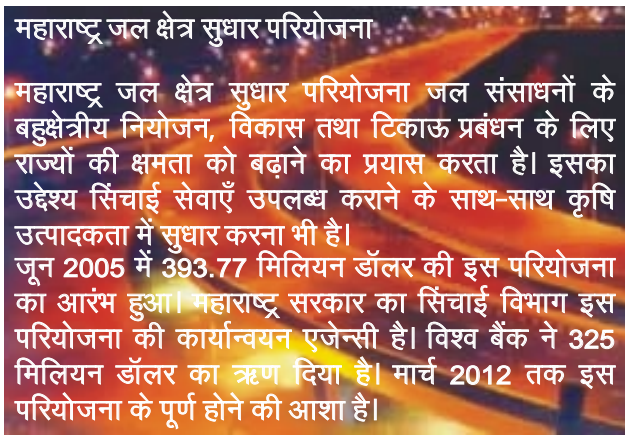

इस कार्यशाला के दौरान भारत में सी.सी.पी. कार्यक्रम की उपलब्धियाँ/सफलता तथा इस कार्यक्रम के अंतर्गत आरंभ किए गए क्रियाकलापों की सततता के बारे में सभी भागीदारों से चर्चा की गई थी।

इस कार्यशाला का शुभारंभ यू.एस.ए.आई.डी. भारत के मिशन निदेशक कु. बेथ होगन द्वारा हुआ। इस कार्यशाला के दौरान, भारत में सी.सी.पी. कार्यक्रम की उपलब्धियाँ तथा इस कार्यक्रम के अंतर्गत आरंभ किए गए क्रियाकलापों की सततता के बारे में भागीदारों से चर्चा की गई। उन्होंने नगरीय क्षेत्रों में सतत विकास की कार्यनीतियों के कार्यान्वयन के लिए राजनीतिक व कार्यालयी दोनो स्तरों पर शक्तिशाली नेतृत्व की आवश्यकता को व्यक्त किया। उन्होंने 16 शहरों में आई.सी.एल.ई.आई. के सी.सी.पी. इण्डिया कार्यक्रम की सफलता तथा इस कार्यक्रम के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन के कारणों व परिणामों के समाधान प्रस्तुत करने में शहरों की क्षमता बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने इस बात को विशेष रूप से व्यक्त किया कि ऊर्जा सक्षमता तथा अन्य कार्ययोजनाओं के माध्यम से सी.सी.पी. कार्यक्रम द्वारा ग्रीन

महाराष्ट्र की एक झलक

राजधानी	मुम्बई
जिलो की संख्या	35
क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)	307,713 वर्ग कि.मी.
कुल जनसंख्या	96,752,247
जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग कि.मी.)	314.42/वर्ग कि.मी.
प्रति 1000 पुरूषों पर महिलाएँ	922
साक्षरता दर	77.27%
नगरीय स्थानीय निकायों की संख्या	
• नगर निगम	16
• नगर परिषद (A+B+C)	228

स्रोतःभारत की जनगणना

हाऊस गैस के उत्सर्जन को कम करने के अपने प्रयासों को प्रस्तुत किया। सी.सी.पी. इण्डिया शहरों की प्रायोगिक कार्ययोजनाओं के माध्यम से नगरीय क्षेत्रों से ग्रीन हाऊस गैसों को कम करने का यह अनुभव सतत विकास के नियमों पर आधारित योजना के लिए नई विधिक कार्ययोजना की माँग करने की शुरूआत है। भागीदारों ने अनुभव किया कि सी.सी.पी. इण्डिया शहरों द्वारा इन नीतियों को अपनाने से क्षेत्र के दूसरे भागों के लिए एक उदाहरण हो सकता है।

जलवायु संरक्षण के लिए शहरों द्वारा किए गए कार्यों को सम्मान देने के लिए आई.सी.एल.ई.आई.ने 13 सी.सी.पी. शहरों को पुरस्कार दिए। ये हैं - जबलपुर, हैदराबाद, गुन्टूर, बड़ोदरा, सांगली, आगरा, शिमला, देहरादून, कोयम्बटूर, ग्वालियर, मदुरै तथा भुवनेश्वर। सिटी प्रतिनिधियों को यह पुरस्कार ऑफिस ऑफ इकोनोमिक ग्रोथ यू.एस.ए.आई.डी. इण्डिया के निदेशक कु.रेबेका ब्लैक तथा भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के निदेशक श्री अनिरूद्ध कुमार द्वारा दिया गया।

घटनाएँ

- रा.न.का.सं. ने शहरी विकास मंत्रालय (भारत सरकार), स्थानीय स्व शासन विभाग (राजस्थान सरकार) एवं एच.सी.एम. रीपा के साथ मिलकर म्यूनिसिपल लेखाकरण सुधारों पर 26 अगस्त 2005 को जयपुर में प्रथम क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का आयोजन समरूप राष्ट्रीय लेखाकरण नियमावली की विभिन्न सिफारिशों की कार्यान्वयन प्रक्रिया को प्रोत्साहन देने के लिए किया गया था, जिससे नगरीय स्थानीय निकायों को अपने लेखों को अच्छे ढंग से रखने में सहायता मिलेगी।
- नगरीय क्षेत्र में प्रशिक्षण को बढ़ावा देने तथा क्षमता निर्माण विषय पर शहरी विकास मंत्रालय (भारत सरकार) तथा यशदा के सहयोग से 2-3 सितम्बर 2005 को पुणे में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी का आयोजन जे.एन.एन.यू.आर.एम. के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया गया था, जिसमें चयनित व अचयनित दोनों म्यूनिसिपल कार्यकर्त्ताओं के क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण पर जोर दिया गया। अतः राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से यथोचित प्रशिक्षण कार्य प्रणाली का निर्माण करके प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करें।

संक्षेप में समाचार

कर्नाटक में जी.आई.एस. आधारित संपत्ति कर प्रणाली आरंभ की जा रही है। इस परियोजना में संपत्ति कर को जमा करने के लिये प्रयुक्त प्रमाणिक सूचना के संग्रहण पर ध्यान दिया जाता है। इससे मानचित्र आधारित आंकड़ों का संग्रह तैयार होगा जिससे नगरीय क्षेत्र के योजनाबद्ध प्रबंधन में सहायता मिलेगी। पुन, यह संग्रह मूल आंकड़ों का संग्रह तैयार करने में सहायक होगा जिससे नगरीय क्षेत्रों के विकास के लिए योजना बनाने में सहायता मिलेगी, जनता से घनिष्ठ संबंध विकसित होगे, सभी सरकारी विभागों में आंकड़ों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी तथा नगर का एक आधार मानचित्र बनेगा जिसमें सभी संपत्तियाँ एवं सड़कें सम्मिलित होगी। यह परियोजना ई-गवर्नेंस फाउंडेशन के अंतर्गत है जिसकी लागत 7 करोड़ रूपये होगी तथा इससे संपत्ति कर के एकत्रीकरण में तेजी से वृद्धि होगी।

विश्व बैंक ने मध्य प्रदेश, कर्नाटक एवं तमिलनाडु को 705.5 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है। इसमें से 396 मिलियन डॉलर मध्य प्रदेश जल क्षेत्र की पुनः संरचना परियोजना के लिए, 39.5 मिलियन डॉलर कर्नाटक जल क्षेत्र सुधार परियोजना के लिए तथा 300 मिलियन डॉलर का ऋण अधःसंरचना सुधार एवं नगरीय स्थानीय निकायों की मजबूती के लिये तृतीय तमिलनाडु नगरीय विकास परियोजना को दिया गया है।

नगरीय स्थानीय निकायों (सभी स्तरों के) के राज्यानुसार राजस्व

क्र.सं.	राज्य	2002-03	Share wrt to GSDP प्रतिशत)
1.	आंध्र प्रदेश	857.03	7.555
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.000
3.	असम	43.13	0.374
4.	बिहार	75.66	0.958
5.	छत्तीसगढ़	110.34	1.897
6.	गोवा	23.87	0.115
7.	गुजरात	976.15	15.885
8.	हरियाणा	93.15	1.266
9.	हिमाचल प्रदेश	25.47	0.060
10.	जम्मू और कश्मीर	5.38	0.124
11.	झारखण्ड	16.01	0.220
12.	कर्नाटक	350.92	6.038
13.	केरल	295.90	1.771
14.	मध्यप्रदेश	606.94	9.733
15.	महाराष्ट्र	1060.35	23.275
16.	मणीपुर	2.74	0.028
17.	मेघालय	3.30	0.037
18.	मिजोरम	0.00	0.000
19.	नागालैंड	3.10	0.020
20.	उड़ीसा	42.69	0.455
21.	पंजाब	641.04	7.651
22.	राजस्थान	172.16	1.537
23.	सिक्किम	0.00	0.000
24.	तमिलनाडु	1001.77	11.352
25.	त्रिपुरा	2.27	0.017
26.	उत्तर प्रदेश	329.42	4.188
27.	उत्तरांचल	25.46	0.293
28.	पश्चिम बंगाल	596.03	5.151
	कुल	**7360.28**	**100.000**

12वें वित्त आयोग की रिपोर्ट, 2005

माननीय उच्च न्यायालय के निदेशों के अनुसार दिल्ली नगर निगम ने आई.सी.ए.आई. के सौजन्य से नकद-आधारित लेखाकरण प्रणाली के स्थान पर दोहरी प्रविष्ट प्रणाली (डबल एंट्री सिस्टम) को लागू किया। दिल्ली नगर निगम ने कोष आधारित एक्रुअल प्रणाली के आधार पर वर्ष 2003-04 के लिए सी.ए.एफ.आर. भी तैयार किए तथा वर्ष 2004-05 के लेखों को तैयार करने का कार्य अभी चल रहा है। दिल्ली नगर निगम ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य दल की सिफारिशों के अनुसार अनेक वित्तीय एवं बजट संबंधी सुधारों को प्रारंभ किया है।

लेखों की माँग

नगरीय शासन के स्तर को सुधारने हेतु भारत में नगरीय स्थानीय निकायों ने सुधार-प्रक्रियाओं की पहल की है । यद्यपि ये सुधारात्मक पहल अनेक नगरीय स्थानीय निकायों में हो रहे हैं किंतु उनमें से कुछ अत्यधिक प्रगतिशील तथा प्रभावी हैं, परंतु ये प्रयास एक दूसरे को अपने अनुभव से लाभान्वित किए बिना एकाकी रूप से हो रहे हैं।

रा.न.का.सं. आपसे आपके राज्य अथवा नगरीय स्थानीय निकायों में नगरीय सुधार पर ऐसे प्रयासों को नगरीय वित्त न्यूजलेटर में प्रकाशित करने के लिए प्रस्तुत करने का निवेदन करता है। इसका उद्देश्य सारे देश में नगरीय स्थानीय निकायों की उपलब्धियों को पहचान देना तथा जागरूकता को बढ़ाना है। लेख 800 शब्दों से अधिक नहीं होने चाहिए। कृपया अपने लेख mmathur@niua.org पर प्रेषित करें ।

सुझाव सामग्री

प्रिय पाठक,

नगरीय मुद्दों के प्रति आपकी गहरी रूचि एवं आपकी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया/परामर्श नगरीय वित्त के स्तर में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। कृपया, अपना महत्वपूर्ण सुझाव संपादक के नाम निम्न पत्ते पर भेजें।

पुनः सभी पाठकों से अनुरोध है कि आप अपना पता जिसमें आपका पिन कोड, टेलिफोन/मोबाइल नंबर, ई-मेल, फैक्स आदि शामिल हो, अवश्य भेजें।

संपादक
नगरीय वित्त
राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान
कोर 4–बी, I व II मंजिल, इंडिया हैबिटाट सेन्टर,
लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003, भारत
फोन : 91-11-24617543, 24643284, 24617517
फैक्स : 91-11-24617513
ई–मेल : niua@niua.org
वेबसाइट : www.indiaurbaninfo.com

संपादक :
डा० एम. पी. माथुर
सहायक संपादक :
डा० राजेश चन्द्रा, डा० बरुण कुमार, डा० देवयानी घोष,
नवीन माथुर एवं हितेष वैद्या
अनुवादक : पूनम मल्होत्रा
टाइपिंग : मीरा भागचंदानी
सचिव स्तर पर सहायक : अनीता शर्मा
प्रकाशक : राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान,
नई दिल्ली–110003
मुद्रक : शुभम्, नई दिल्ली–110058
मो: 9811224461, 9868846466,